प्र.पी.316

5-5

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध क्रमांक--09 / 15

जिला–रायपुर।
धारा--धारा--109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

अरविन्द सिंह ध्रुव पिता श्री गणेश सिंह ध्रुव आयु 44 साल निवासी के0के0 रोड मौदहापारा [illegible] मंदिर के पास रायपुर मो0नं0–9826956641, 8817903346 पद स्टेनो टायपिस्ट [illegible]0एस0 कक्ष) नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवन्ति विहार रायपुर छ0ग0।

--------::--------

पूछने पर बताया कि मैं मौदहापारा में रहता हूं, नागरिक आपूर्ति निगम में स्टेनो टाईपिस्ट के पद पर करीबन 2 साल से पदस्थ हूं। नॉन में मेरा प्रभारी अधिकारी शिवशंकर भट्ट है। शिवशंकर भट्ट नॉन में पीडीएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) कक्ष में है और इसका कार्य देखता है। मैं नॉन आफिस में लेटर ड्राफ्टिंग एवं नेट से जानकारी निकालने का काम करता हूं, मैं चांवल परिवहन आदेश एम.डी. एवं शिवशंकर भट्ट के कहने पर अपने साईट में नेट पर डालता था।

दिनांक 12.02.2015 को करीबन 08--09 बजे के मध्य नॉन के प्रबंधक शिवशंकर भट्ट का फोन मेरे मोबाइल नम्बर 8817903346 पर आया था, उन्होंने कहा कि 20 फाईल आफिस में लेकर आना। उनके बताने के बाद दिनांक 12.02.2015 को 10.20 बजे आफिस चला गया और फाईल लेकर नहीं गया। आफिस जाकर मेरे द्वारा अपने कम्प्यूटर से खाद्यान्न सामग्री की जानकारी शिवशंकर भट्ट को उसके केबिन में जाकर दी। उनके द्वारा बताया गया कि 20 फाईल (20 लाख रुपये) को लंच के बाद गिरीश शर्मा को दे देना। यह 20 लाख रुपये मेरे पास जिला राजनांदगांव, कांकेर, सुकमा, बलौदाबाजार, रायपुर, बस्तर, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, बलरामपुर और महासमुंद से प्राप्त हुए थे, जिसे उपरोक्त जिले वाले आफिस से लाकर मुझे दिये। इसमें राजनांदगांव से 8 लाख 50 हजार रुपये, कांकेर से 4 लाख रुपये, सुकमा से 3 लाख 80 हजार रुपये, बलौदाबाजार से 1,88,500/– रुपये, रायपुर से 1 लाख 83 हजार रुपये, बस्तर से [illegible],600/– रुपये, धमतरी से 4 लाख 50 हजार रुपये, गरियाबंद से 3 लाख 43 हजार रुपये, कवर्धा से 5 लाख 4 हजार रुपये, बलरामपुर से 3,[illegible]/– रुपये एवं महासमुंद से 5 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 20 लाख रुपये एकत्रित हुआ था। यह कलेक्शन दिसम्बर–जनवरी एवं उससे पहले महीने का है।

दिनांक 12.02.2015 को 12.00 बजे नॉन से [illegible] से मौदहापारा निवास आया और काली मस्जिद के पास खड़ी कर अपने भांजे आशीष सिंह [illegible] का फोन कर 20 लाख रुपये का बैग मंगवाया और लेकर आफिस गया, और आफिस में शिवशंकर भट्ट के इशारे अनुसार एम.डी. के पी.ए. गिरीश शर्मा को बैग से निकालकर नोट का बंडल दे दिया, सभी नोट 500--1000 के थे। यह रुपये एम.डी. अनिल टुटेजा के लिये था, जिसे एम.डी. के पी.ए. गिरीश शर्मा को मैंने दिया।

इस घटना के बाद दिनांक 12.02.2015 को नॉन आफिस में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा दबिश दी गयी, मुझसे भी पूछताछ की गई, मेरे द्वारा बताया गया कि मैंने शिवशंकर भट्ट के कहने पर एम.डी. साहब के लिये 20 लाख रूपये उनके पी.ए. गिरीश शर्मा को दिया हूं, इसके बाद ब्यूरो के अधिकारी मुझे कार्यवाही (सर्च) के लिये मेरे घर मौदहापारा ले गये, मेरे घर से ब्यूरो के अधिकारियों को सन् 2014 की एक मेहरून कलर की छत्तीसगढ़ शासन की डायरी प्राप्त हुई, जिसे ब्यूरो द्वारा जप्ती किया गया। जिसमें 1 से लेकर 105 पन्ने है, जिसके पेज क्रमांक 3 पर नाम अरविंद सिंह, स्टेनो टाईपिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम, अवंति विहार कालोनी, रायपुर, फोन नम्बर 8817903346, 9826956641।

पेज नम्बर 46 के पीछे वाले भाग में मेरे द्वारा वीसी खेलने के संबंध में इन्द्राज किया गया है। पेज नम्बर 85 के पीछे के भाग पर मेरे द्वारा मेरे दोस्त रघु, फारूख, मन्नान, जितेन्द्र, संतोष साहू, चिन्टू, त्रिनाथ से रूपये उधारी लेने के बारे में लिखा है।

दिनांक 03.02.2015 कांकेर से 4 लाख रूपये, कोण्डागांव से 1 लाख 40 हजार रूपये, धमतरी से 4 लाख 5 हजार रूपये, दिनांक 04.02.2015 को गरियाबंद से 3 लाख 43 हजार रूपये प्राप्त किया। दिनांक 04.02.2015 को गिरीश शर्मा को 2 लाख रूपये दिया था, जो एम.डी. साहब के छोटे मोटे खर्च के लिये शिवशंकर भट्ट के कहने पर मेरे द्वारा दिया गया था, जिसका हिसाब डायरी में लिखा हूं, इसी डायरी दिनांक 05.02.2015 को जिला बलौदाबाजार से 1,88,500/— रू., दिनांक 06.02.2015 को कवर्धा से 6,40,000/— रू. प्राप्त किया था। दिनांक 10.02.2015 को जिला बलरामपुर 3,86,600/— रू. एवं महासमुंद से 6 लाख रू. प्राप्त हुआ था, इसी दिनांक को भट्ट साहब के कहने पर गिरीश शर्मा को एम.डी.के आफिस मेन्टनेंस के लिये 1 लाख रूपये दिया था।

पेज क्रमांक 87 पर मेरे द्वारा जो हिसाब लिखा है, उसमें जिला सूरजपुर से [illegible] लाख रूपये लेकर आया था, भट्ट सर के कहने पर गिरीश शर्मा को दिया। आचार संहिता के समय 4 जिलो से 37 लाख रूपये आया था (जिलों का उल्लेख नहीं है), जिसे शिवशंकर भट्ट को दिया था। दिनांक 24.01.2015 को जिला बिलासपुर 7,61,500/— रू., सुकमा से 3,60,00/— रू., दिनांक 26.01.2015 को जिला जांजगीर से 7,23,600/— रू., दिनांक 27.01.2015 जिला बालोद से 2,73,200/— रू., प्राप्त किया। दिनांक 18.01.2015 को शिवशंकर भट्ट के कहने पर कुमार अविनाश [illegible] को मेरे द्वारा 75000/— रूपये उधार के रूप में दिया गया।

पेज क्रमांक 87 के पीछे के भाग पर दिनांक 12.01.2015 को [illegible] एवं बीजापुर से 3,63,600/— रू. प्राप्त हुआ था। दिनांक 16.01.2015 को एम.डी. के पी.ए. गिरीश शर्मा को 20 लाख रूपये दिया था। दिनांक 18.01.2015 को जिला राजनांदगांव से 8,40,000/— रू. प्राप्त हुआ।

पेज क्रमांक 88 पर उल्लेख है कि दिनांक [illegible].12.2014 को [illegible] साहू ने भट्ट साहब को 3 लाख रूपये दिया, जिसे भट्ट साहब ने [illegible] लिये। दिनांक 24.12.2014 को जिला [illegible] से [illegible]/— रू. जिला रायपुर से [illegible],10,000/— रू. प्राप्त हुआ। दिनांक [illegible].12.2014 को गिरीश शर्मा को 4 लाख रूपये दिया और भट्ट साहब को 4 लाख रूपये दिया गया। दिनांक 05.01.2015 को जिला बिलासपुर से 3,31,500/— रूपये प्राप्त हुआ।

पेज क्रमांक 88 के पीछे भाग पर दिनांक 19.12.2014 को एम.डी. के पी.ए. गिरीश शर्मा को 20 लाख रूपये दिया गया, एवं हनुमान ट्रेडर, राठौर चौक से 1 लाख रूपये प्राप्त किया था। दिनांक 19.12.2014 को भट्ट साहब ने 31 लाख रूपये मेरे पास रखवाये थे। दिनांक 23.12.2014 को जिला धमतरी से 3 लाख रूपये, जांजगीर से 8,65,000/--रू., बालोद से 2,73,000रू., कांकेर से 3,75,000/-- रू. प्राप्त हुए।

पेज क्रमांक 89 में मेरे द्वारा उल्लेखित दिनांक 15.12.2014 को दीपक अग्रवाल ने भट्ट साहब को 8,50,000/-- रू. लाकर दिया, जिसे भट्ट साहब ने मुझे दिया, इसके अलावा 5 लाख रू. और दिये। दिनांक 17.12.2014 को रायगढ़ से 12,40,000/-- रू., गरियाबंद से 2,83,200/--रू., राजनांदगांव से 3,45,000/--रू., महासमुंद से 8,00,000/-- रूपये प्राप्त हुआ। दिनांक 19.12.2014 को अतुल ने भट्ट सर को 3,58,000/-- रू. दिया एवं दिनांक 22.12.2014 को जिला बस्तर से 3,00,000/-- रूपये प्राप्त हुआ था।

दिनांक 15.11.2014 को दीपक अग्रवाल ने शिवशंकर भट्ट साहब को 15 लाख रूपये प्रापत हुआ। दिनांक 17.11.2014 को शिवशंकर भट्ट से 20 लाख रूपये प्राप्त हुआ एवं दिनांक 21.11.2014 को 2,57,800/-- रूपये जिला बालोद से प्राप्त हुआ।

पेज नम्बर 90 में डायरी में उल्लेखित दिनांक 13.10.2014 को दीपक अग्रवाल से 15,00,000/-- रूपये प्राप्त हुआ, जिसमें से 5 लाख रूपये शिवशंकर भट्ट ने ले लिया। दिनांक 21.10.2014 को पी.ए. गिरीश शर्मा को 10 लाख रूपये दिया। दिनांक 21.10.2014 को जिला रायगढ़ से 10 लाख प्राप्त हुआ। दिनांक 30.10.2014 को आदि नारायण से 1,97,000/-- रू. और गिरीश शर्मा से 3 लाख रूपये और मेरे पास रखाये पैसों को मिलाकर कुल 5 लाख रूपये भट्ट साहब को दिये।

पेज नम्बर 90 के पीछे दिनांक 04.08.2014 को भट्ट साहब को 10 लाख रूपये दिये।

पेज नम्बर 92 में दिनांक 23.08.2014 को दीपक अग्रवाल से 17 लाख एवं दिनांक 30.08.2014 को वर्धमान से 10 लाख रूपये प्राप्त हुआ। इसी दिनांक को 10 लाख भट्ट सर को दिया। दिनांक 23.08.2014 को भट्ट सर को 10 लाख रूपये दिया,

दीपक अग्रवाल का जो 14 लाख रूपये था भट्ट सर को मधु रवीन्द्रा के सामने उनके ड्रायवर [illegible] के सामने दिया था। पूछने पर बताया कि इस डायरी में जो पैसा जिलों से प्राप्त होता था उसका हिसाब किताब मुख्यतः मैंने लिखा है। पूछने पर बताया कि यह पैसा मैं शिवशंकर भट्ट साहब को दे देता था तथा जो [illegible] मैं अपनी डायरी में लिखता था वह [illegible] था [illegible] कि यह पैसा भट्ट साहब को दिया गया था।

दिनांक 13.02.2015

[illegible]

(आर0के0 [illegible])
[illegible]
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।